भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1029

10.02.2025 को उत्तर के लिए

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वन आच्छादित क्षेत्र का कम होना

1029. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में वर्तमान में कुल हरित वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अवसंरचना विकास और अवैध वन कटाई के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ हरित वन/वृक्ष हटाए गए हैं;

(ग) क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में 3,100 वर्ग किमी से अधिक हरित क्षेत्र कम हुआ है;

(घ) क्या वन आच्छादित क्षेत्र में दशकीय परिवर्तन के प्रभाव अथवा क्षेत्र के विभिन्न पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वन आच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन का कार्बन पृथक्करण, मृदा उर्वरता और जल संभर स्थायित्व पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त क्षेत्र में पुनर्रोपण और वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) इस मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, देश के वन और वृक्ष आवरण का द्विवार्षिक आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन और वृक्ष आवरण 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है।

पिछले दशक से देश में वन आवरण में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, वर्ष 2013 और वर्ष 2023 के आकलन के बीच वन आवरण में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि

हुई है। हालाँकि, देश के कुछ राज्यों में वन आवरण में वृद्धि हुई है और कुछ राज्यों में कमी आई है, जिसका विवरण आईएसएफआर 2023 में दिया गया है।

आईएसएफआर 2023 में विभिन्न वन मापदंडों के दशकीय परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। वनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के विश्लेषण के अनुसार, खाद में सुधार से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप घास के आवरण में और झाड़-झंखाड़ों के पनपने में बेहतरी हुई है। आईएसएफआर 2021 के अनुमानों की तुलना में 81.5 मीट्रिक टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुई 5.19 मीट्रिक टन कार्बन स्टॉक की वृद्धि शामिल है।

वन और वृक्ष संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। देश के वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी संरचनाएं विद्यमान हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियम आदि शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कानून के प्रावधानों के अनुसार वनों और वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए परामर्शिकाएं जारी करता है। इसके अलावा, वनों की सुरक्षा के लिए, राज्य वन विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाना और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावास विकास (डीडब्ल्यूएच) और नगर वन योजना (एनवीवाई) जैसे विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत सरकार वनरोपण के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत भी वनरोपण किया जाता है।

******